रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122023-250755
CG-DL-E-19122023-250755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 716] **नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2023/अग्रहायण 28, 1945**
No. 716] **NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2023/AGRAHAYANA 28, 1945**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2023

(आय-कर)

सा.का.नि. 900(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92गख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (उन्नतीसवा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये 1 अप्रैल, 2024 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,--

(क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नियम 10नक में,--

(i) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(च) "अंत:-समूह ऋण" से किसी सहबद्ध उद्यम, जो गैर-निवासी है, को दिया गया ऋण अभिप्रेत है, जहां ऋण—

(i) किसी ऐसे उद्यम द्वारा नहीं दिया गया है, जो एक वित्तीय कंपनी है, जिसके अंतर्गत बैंक या वित्तीय संस्था या कोई उद्यम सम्मिलित है, जो कारबार के साधारण प्रक्रम में उधार देने या उधार लेने में लगा हुआ है ; और

(ii) जिसके अंतर्गत कोई जमा रेखा या कोई अन्य उधार सुविधा नहीं है, जिसकी पुन: संदाय के लिए कोई नियत अवधि नहीं है ;';

(ii) खंड (ञ) के उपखंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(vi) ऐसी आस्तियों, जिन पर प्रचालन व्यय में अवक्षयण को सम्मिलित किया जाता है, से भिन्न आस्तियों या विनिधान के अंतरण पर हानि ;";

(iii) खंड (ट) के उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) ऐसी आस्तियों, जिन पर प्रचालन व्यय में अवक्षयण को सम्मिलित किया जाता है, से भिन्न आस्तियों या विनिधान के अंतरण पर आय ;";

(ख) नियम 10नघ में,--

(i) उपनियम (2क) में, सारणी में—

(अ) क्रम सं. 4 में, स्तंभ सं. (3) में,--

(I) खंड (i) "सीआरआईएसआईएल" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(II) खंड (ii) "सीआरआईएसआईएल" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(III) खंड (iii) "सीआरआईएसआईएल" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(IV) खंड (iv) "सीआरआईएसआईएल" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(आ) क्रम सं. 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :--

"5.	नियम 10नग के खंड (iv) में निर्दिष्ट अंतरा-समूह ऋणों को देना, जहां ऋण की रकम का अवधारण विदेशी मुद्रा में है ।	पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में घोषित ब्याज दर सुसंगत पूर्व वर्ष के 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार सुसंगत विदेशी मुद्रा में संदर्भ दर से कम नहीं है, धन,-- (क) यदि सहबद्ध उद्यम को दिए गए ऋण की रकम, जिसके अंतर्गत सभी सहबद्ध उद्यमों को दिया गया ऋण सम्मिलित है, सुसंगत पूर्व वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समग्र रूप से 250 करोड़ भारतीय रुपए की राशि के समतुल्य से अनधिक नहीं होती है : (i) 150 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग एएए, एए+, एए, एए-, ए+, ए, ए- या समतुल्य है ;

		(ii) 300 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग बीबीबी+, बीबीबी, बीबीबी- या समतुल्य है ; (iii) 400 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग बीबी+, बीबी, बीबी-, बी+, बी, बी-, सी+, सी, सी-, डी या समतुल्य है या जहां सहबद्ध उद्यमों की क्रेडिट रेटिंग उपलब्ध नहीं है ; (ख) यदि सहबद्ध उद्यम को दिए गए ऋण की रकम, जिसके अंतर्गत सभी सहबद्ध उद्यमों को दिया गया ऋण सम्मिलित है, सुसंगत पूर्व वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार समग्र रूप से 250 करोड़ भारतीय रुपए की राशि के समतुल्य से अधिक होती है : (i) 150 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग एएए, एए+, एए, एए-, ए+, ए, ए- या समतुल्य है ; (ii) 300 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग बीबीबी+, बीबीबी, बीबीबी- या समतुल्य है ; (iii) 450 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग बीबी+, बीबी, बीबी-, बी+, बी, बी- या समतुल्य है ; (iv) 600 आधारिक बिन्दु, जहां सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग सी+, सी, सी-, डी या समतुल्य या जहां सहबद्ध उद्यमों की क्रेडिट रेटिंग उपलब्ध नहीं है ।”;

(ii) उपनियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) “संदर्भ दर” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

(i) अमेरिकी डालर के लिए छह मास की आवधिक प्रत्याभूत ओवरनाइट वित्तीय दर (एसओएफआर), इस समय शिकागो मर्कन्टाइल एक्सचेंज (सीएमई) द्वारा प्रशासित है, 45 आधार बिन्दुओं की वृद्धि के साथ ;

(ii) यूरो के लिए छह मास की यूरो इंटर बैंक प्रस्थापित दर (ईयूआरआईबीओआर), इस समय यूरोपियन मनी मार्किट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रशासित है ;

(iii) यूके पाउंड स्ट्रर्लिंग के लिए छह मास का आवधिक स्ट्रर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स औसत (एसओएनआईए), इस समय आईसीई बैंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन/ रिफिनिटिव द्वारा प्रशासित है, 30 आधार बिन्दुओं की वृद्धि के साथ ;

(iv) जापानी येन के लिए, छह मास की टोकियो आवधिक जोखिम मुक्त दर (टीओआरएफ), इस समय क्यूयूआईसीके बैंचमार्कस इनकारपोरेटड द्वारा बैंचमार्कड है, 10 आधार बिन्दुओं की वृद्धि के साथ ;

(v) आस्ट्रेलियन डालर के लिए छह मास की बैंक बिल स्वेप दर (बीबीएसडब्ल्यू) इस समय आस्ट्रेलियन सिक्योरिटिज एक्सचेंज द्वारा प्रशासित है; और

(vi) सिंगापुर डालर के लिए, छह मास की कंपाउडड सिंगापुर ओवरनाइट दर औसत (एसओआरए), इस समय सिंगापुर मानीटरी आथारिटी द्वारा प्रशासित है, 45 आधार बिन्दुओं की वृद्धि के साथ ;

(ख) "क्रेडिट रेटिंग" से सहबद्ध उद्यम को क्रेडिट रेटिंग अभिप्रेत है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत एवं भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्ययित क्रेडिट रेटिंग अभिकरण द्वारा समनुदेशित की है, जो सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए लागू होती है, यद्यपि--

(i) जहां सहबद्ध उद्यम के पास केवल एक क्रेडिट रेटिंग है, तब ऐसी रेटिंग को उसकी क्रेडिट रेटिंग माना जाएगा ; और

(ii) जहां सहबद्ध उद्यम के पास एक से अधिक अभिकरण से क्रेडिट रेटिंग है तब इन रेटिंग में से सबसे कम रेटिंग को उसकी क्रेडिट रेटिंग माना जाएगा ।'।

[अधिसूचना सं. 104/2023/फा. सं. 370142/26/2023-टीपीएल]

सौरभ जैन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 898(अ) तारीख 18 दिसंबर, 2023 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2023

(INCOME-TAX)

G.S.R. 900(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92CB read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Income-tax (Twenty-Ninth Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the 1st day of April, 2024.

2. In the Income-tax Rules, 1962,–

(a) in rule 10TA, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette,—

(i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

'(f) "intra-group loan" means loan advanced to an associated enterprise being a non-resident, where the loan—

(i) is not advanced by an enterprise, being a financial company including a bank or a financial institution or an enterprise engaged in lending or borrowing in the normal course of business; and

(ii) does not include credit line or any other loan facility which has no fixed term for repayment;’;

(ii) in clause (j), for sub-clause (vi), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(vi) loss on transfer of assets or investments other than assets, on which depreciation is included in the operating expense;”;

(iii) in clause (k), for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(iii) income on transfer of assets or investments other than assets, on which depreciation is included in the operating expense;”;

(b) in rule 10TD,—

(i) in sub-rule (2A), in the Table—

(A) in Sl.No. 4, in column number (3),–

(I) in clause (i), the word “CRISIL” shall be omitted;

(II) in clause (ii), the word “CRISIL” shall be omitted;

(III) in clause (iii), the word “CRISIL” shall be omitted;

(IV) in clause (iv), the word “CRISIL” shall be omitted;

(B) for Sl.No. 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“5.	Advancing of intra-group loans referred to in clause (iv) of rule 10TC where the amount of loan is denominated in foreign currency.	The interest rate declared in relation to the eligible international transaction is not less than the reference rate of the relevant foreign currency as on 30th September of the relevant previous year plus, - (a) If amount of loan advanced to the associated enterprise including loans to all associated enterprises does not exceed a sum equivalent to two hundred and fifty crore Indian rupees in the aggregate as on 31st March of the relevant previous year: (i) 150 basis points, where the associated enterprise has a credit rating of AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- or equivalent; (ii) 300 basis points, where the associated enterprise has credit rating of BBB+, BBB, BBB- or equivalent; (iii) 400 basis points, where the associated enterprise has a credit rating of BB+, BB, BB-, B+, B, B-, C+, C , C-, D or equivalent or where the credit rating of the associated enterprise is not available; (b) If amount of loan advanced to the associated enterprise including loans to all associated enterprises exceeds a sum equivalent to two hundred and fifty crore Indian rupees in the aggregate as on 31st March of the relevant previous year: (i) 150 basis points, where the associated enterprise has a credit rating of AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- or equivalent; (ii) 300 basis points, where the associated enterprise has credit rating of BBB+, BBB, BBB- or equivalent; (iii) 450 basis points, where the associated enterprise has a credit rating of BB+, BB, BB-, B+, B, B- or equivalent; (iv) 600 basis points, where the associated enterprise has credit rating of C+, C , C-, D or equivalent or where the credit rating of the associated enterprise is not available.”;

(ii) after sub-rule (2A), the following *Explanation* shall be inserted, namely:-

‘***Explanation*.–** For the purposes of this sub-rule,—
(a) “reference rate” means,–

(i) for US dollar, 6-month Term Secured Overnight Financing rate (SOFR), currently administered by Chicago Mercantile Exchange (CME), as increased by 45 basis points;

(ii) for Euro, 6-month Euro Inter Bank Offered Rate (EURIBOR), currently administered by European Money Markets Institute;

(iii) for UK Pound Sterling, 6-month Term Sterling Overnight Index Average (SONIA), currently administered by ICE Benchmark Administration/Refinitiv, as increased by 30 basis points;

(iv) for Japanese Yen, 6-month Tokyo Term Risk Free Rate (TORF), currently benchmarked by QUICK Benchmarks Inc, as increased by 10 basis points;

(v) for Australian dollar, 6-month Bank Bill Swap Rates (BBSW) currently administered by Australian Securities Exchange; and

(vi) for Singapore dollar, 6-month Compounded Singapore Overnight Rate Average (SORA), currently administered by Monetary Authority of Singapore, as increased by 45 basis points;

(b) "credit rating" means the credit rating assigned to the associated enterprise by a Securities and Exchange Board of India registered and Reserve Bank of India accredited credit rating agency which is applicable for the relevant previous year, so however that-

(i) where the associated enterprise has only one credit rating, then such rating shall be taken as its credit rating; and

(ii) where the associated enterprise has a credit rating from more than one such credit rating agency, then the least of such ratings shall be taken as its credit rating.'.

[Notification No. 104/2023/ F. No. 370142/26/2023-TPL]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 898(E) dated the 18th December, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.19 21:38:44 +05'30'